

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 697 / 2023

सीमा सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, भरतपुर।
4. मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, नदबई, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2023

आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर शहीद कांस्टेबल जगदीश चंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Dahra, नदबई, भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विलंग, भरतपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी विधवा महिला है और उसकी सेवानिवृत्ति में मात्र 21 माह का समय शेष है। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान कर रखा है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन

कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय **श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016** में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया। जो अनुचित एवं विधि के विरुद्ध है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर शहीद कांस्टेबल जगदीश चंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Dahra, नदबई, भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी विधवा महिला होने तथा उसकी सेवानिवृत्ति तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चयों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य